Appendix -D

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषय :- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में विहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गो को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।

2. इस संबंध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प संख्या–3884, दिनांक 05–11–2001 निर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण एवं विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या – WP (PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार, WP (PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के द्वारा चुनौती दी गयी और इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीशों के बेंच द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 22–8–2002 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया एवं पुनः दिनांक 30.09.2002 को उक्त अंतरिम आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक और आदेश पारित किया गया।

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश एवं संशोधित आदेश के अनुसार झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी और इसका निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगा। उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय होने तक, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर है एस. एल. पी. 13526/1993 Voice (Consumer Council) Vrs. State of Tamil Nadu के फैसले पर आधारित होगा, 23 प्रतिशत पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में गुणागुण (मेरिट) कोटि से तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जायेगी।

शेष 27 प्रतिशत सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से गुणागुण (मेरिट) कोटि से की जायेगी।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि नियुक्ति में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी वही व्यवस्था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी लागू रहेगी।

5. अतएव माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने झारखण्ड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की अंतरिम व्यवस्था की है जिससे संबंधित संकल्प संख्या–5776, दिनांक 10–10–2002 निर्गत किया गया है।

6. राज्य सरकार ने इस संकल्प के प्रावधानों को राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है।

7. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–3884, दिनांक 5–11–2001 को अवक्रमित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन निम्नलिखि रूप से विनियमित किया जायेगा :–

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से :	प्रथम 27 प्रतिशत (नियमित रूप से) शेष 23 प्रतिशत (तदर्थ/औपबंधिक रूप से) कुल–50 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से :	50 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए सीटें निम्न रूप में आवंटित होंगी :

(क)	अनुसूचित जाति	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	26 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)	14 प्रतिशत

कुल – **50** प्रतिशत

8. यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाएगा :–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ग) यदि इसके बाद सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

9. जैसा कि सीधी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान है कि मेरिट से चयनित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित माना जायेगा, वैसी ही व्यवस्था करते हुए व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/नामांकन हेतु मेरिट से चुने गये नामांकन पाने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण कोटि के विरूद्ध सामंजित नहीं माना जायेगा तथा उन्हें खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के अन्दर माना जायेगा।

10. विभिन्न विभागों से प्राप्त राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की सूची परिशिष्ट–1 के रूप में द्रष्टव्य है। अगर कोई राज्य स्तरीय व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों की सूची इस परिशिष्ट के अन्तर्गत नहीं भी है तो उसमें भी यह प्रावधान लागू होगा। इस सूची में समय– समय पर परिस्थिति के अनुसार किसी शिक्षण संस्थान का नाम जोड़ा या विलोपित किया जा सकता है। इस संकल्प में दिये गये प्रावधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा जिन व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षा/आवेदन पत्र दिये जा चुके हैं, परन्तु नामांकन नहीं हुआ हो तो उन पर भी लागू होंगे।

टिप्पणी :–

(1) खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि में आरक्षित कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप से) के उम्मीदवार यदि सफल होते हैं तो उन्हें आरक्षित कोटि में नहीं गिने जाने का प्रावधान है। परन्तु ऐसा संभव है कि 23 प्रतिशत की खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि के विरूद्ध जो तदर्थ/औपबंधिक नामांकन की जायेगी उनमें से आरक्षित कोटि के समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हों और उन्हें आरक्षित कोटि के विरूद्ध नियमित रूप से नामांकन पाने वाले उम्मीदवारों से ज्यादा अंक प्राप्त हों। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक अंक पाने वाले वाले उम्मीदवारों को तदर्थ/ औपबंधिक रूप से नामांकन करना अथवा कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से नामांकन करना न्यायोचित नहीं होगा। अतएव ऐसी परिस्थिति में अपेक्षाकृत कम अंक अंक पाने वाले आरक्षित कोटि के सफल उम्मीदवारों को 23 प्रतिशत तदर्थ/औपबंधिक रूप

से कोटि के अंतर्गत नामांकन किया जाय एवं अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि के अंतर्गत नियमित रूप से नामांकित किया जायेगा।

(2) तदर्थ/औपबंधिक नामांकन के संबंध में जो भी नामांकन पत्र निर्गत होगा उसमें यह स्पष्ट अंकित होगा कि वह ऊपर कंडिका–3 में वर्णित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या– WP (PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम झारखंड सरकार एवं WP (PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा।

आदेश :– आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/झारखण्ड, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अस्पष्ट
(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–5/आ0–03/2001–5800/राँची, दिनांक 10/10/2002
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजें।

अस्पष्ट
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–5/आ0–03/2001–5800/राँची, दिनांक 10/10/2002
प्रतिलिपि :– राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें।

अस्पष्ट
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–5/आ0–03/2001–5800/राँची, दिनांक 10/10/2002
प्रतिलिपि :– महानिबन्धक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

अस्पष्ट
सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारत संविधान के अनुच्छेद–16(4) की पृष्ठभूमि में अधिनियमित 'झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001' की धारा–4(6) (क, ख, ग एवं घ) के आलोक में राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या–5/आ0–03/2001–5800, दिनांक 10.10.2002 तथा जिला स्तरीय औद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का०–905, दिनांक 04.02.2002 में निरूपित है जिसकी कंडिका क्रमशः 8 एवं 4 के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

"यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाएगा:–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ग) यदि इसके बाद सीटें बची रह जाती है तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।"

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के द्वारा 'झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001' की धारा–4(6) (क, ख, ग एवं घ) के प्रावधान को विलोपित करते हुए नया प्रावधान प्रतिस्थापित किया जा चुका है जिसमें रिक्तियों के विनिमय की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अतः संकल्प संख्या–5800, दिनांक 10.10.2002 एवं संकल्प संख्या–905 दिनांक 04.02.2002 में अंकित उपर्युक्त प्रावधान अब अप्रासंगिक है।

3. एतदर्थ उपर्युक्त दोनों संकल्पों की सन्दर्भित कंडिका को एतदद्वारा विलोपित किया जाता है।

4. उक्त दोनों संकल्प तदनुसार संशोधित समझा जायेगा। संकल्पों के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20.9.11

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का०–5886/राँची, दिनांक 21/9/11

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

20.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का०–5886/राँची, दिनांक 21/9/11

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें।

20.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का०–5886/राँची, दिनांक 21/9/11

प्रतिलिपि–महानिबन्धक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।